

प्रेषक,

राज कमल यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2021

विषय-शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के संबंध में।

महोदय,

नीट यू0जी0, 2020 की मेरिट सूची के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के संबंध में शासनादेश शासनादेश संख्या-82भा0स0(1)/96-आयुष-1-2020-204/2020, दिनांक 22.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में काउंसिलिंग का कार्यक्रम आयुर्वेद निदेशालय के पत्र संख्या-1309/शिक्षा-2413/2020 (नीट-2020), दिनांक 31.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निशक्त जन अधिनियम-2016 में 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने का प्राविधान किया गया है। अतएव दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जांच हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (के0जी0एम0यू0) लखनऊ में दिनांक 15.01.2021 एवं 16.01.2021 तथा 03.02.2021 एवं 04.02.2021 तथा दिनांक 20.02.2021 एवं 22.02.2021 को मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।


भवदीय,

(राज कमल यादव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त का उल्लेख ब्रोशर में करते हुए इसे ससमय वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिया जाय एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण एवं कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (के०जी०एम०यू०) लखनऊ से सम्पर्क कर समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
2. कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (के०जी०एम०यू०) लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
3. श्री राज कमल यादव, विशेष सचिव, आयुष विभाग एवं अध्यक्ष काउंसिलिंग कमेटी।
4. श्री लक्ष्मण सिंह, उप सचिव, आयुष विभाग एवं सदस्य काउंसिलिंग कमेटी।
5. निदेशक, यूनानी सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
6. निदेशक, होम्योपैथी, उ०प्र० लखनऊ।
7. काउंसिलिंग कमेटी के समस्त नामित सदस्य (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
अनु सचिव।

कार्यालय
निदेशक, आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।


संख्या- 35 / शिक्षा-2413/2020

दिनांक-14-01-21

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव, आयुष अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०-01/96-आयुष-1-2021-204/2020, दिनांक-14.01.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, (के०जी०एम०यू०) लखनऊ।
- 4- लक्ष्मण सिंह, उप सचिव, आयुष विभाग एवं सदस्य काउंसिलिंग कमेटी।
- 5- निदेशक, यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- काउंसिलिंग कमेटी के समस्त नामित सदस्य।
- ✓ 8- गार्ड फाइल।

v-ayu-draft


(प्र० एस०एन० सिंह)
निदेशक।